193

संख्याः /XXXVIII/(यू–कॉस्ट–बजट)15–21/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनाँकः 12 अक्टूबर, 2015**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की अवशेष धनराशि में से द्वितीय किस्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 10062/वि0प्रौ0प0/सचि0/24/2015–16 दिनांक 15–09–2015 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा 645/XXVII(1)/2015 04 जून, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, की गतिविधियों/योजनाओ कार्यो के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 7500/– हजार (पिचहत्तर लाख मात्र) निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. वचनबद्ध मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता, विद्युत देय, जलकर, प्रभार किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान तथा मानदेय आदि मदों की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते है कि इन मदों के अर्न्तगत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेंगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. वचनबद्ध मदों/निदेशक प्रशासन के अतिरिक्त संचालित विभिन्न परियोजनाओं यथा शोध, अनुसंधान, विज्ञान लोकव्यापीकरण, उद्यमिता विकास/समाज एंव विज्ञान कार्यक्रम, हिमालय सिस्टम सांइस, बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र, तकनीकी संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं तकनीकी हस्तान्तरण हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्य/परियोजनावार फाट कर योजनाओं की कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि का व्यय किया जायेगा एवं आगामी वित्तीय स्वीकृति के समय में योजनावार व्यय धनराशि से शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा। जिसके लिए धनराशि आवंटित की जा रही हैं।

2–

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय पूर्व में संगत मदों में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए तथा प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या –23 एव आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. अनुदान के अन्तर्गत प्रविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
8. बी0एम0–8 पर संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यो का प्रमाण–पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 तथा 645/XXVII(1)/2015 04 जून, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. व्यय करने से पूर्व जहॉ सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसे व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 तक करते हुए प्रत्येक माह का **बी0एम0–13** शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004– अनुसंधान तथा विकास, 07– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के मानक मद, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/ राजसहायता के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 117NP/XXVII(5)/2015–16 दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–अलोटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्याः 496 (1)/XXXVIII/ 15–21/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव,मा0 मंत्री जी, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–5, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋचा)
अनुसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Science & Technology (S063)

आवंटन पत्र संख्या - 496/xxxviii/15-21/2011

अनुदान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - S1510230101

आवंटन पत्र दिनांक -09-Oct-2015

HOD Name - HOD, Science & Technology (9022)

I: लेखा शीर्षक

3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

004 - अनुसंधान तथा विकास

00 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता

60 - अन्य

07 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	7500000	7500000	15000000
	7500000	**7500000**	**15000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 7500000

(ऋचा)
अनु सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड शासन।